

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
35-राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल

ई-मेल: cscd.bhopal@mp.gov.in / jd.scdhobpl@mp.gov.in

क्रमांक/2024-25/शिक्षा-1/ 77
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04/04/2024

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई.टी.)
एनआईसी (राज्य इकाई)
विन्ध्याचल भवन, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम,
भोपाल

विषय:- MPTAASC portal, NIC Portal 2.0 पर, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 के आवेदन हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में।

विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 के लिए MPTAASC पोर्टल एवं NIC 2.0 पोर्टल पर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना (नवीन एवं नवीनीकरण) हेतु विद्यार्थियों द्वारा शत प्रतिशत आवेदन नहीं हो पाए है। अतः वर्ष 2022-23 हेतु 30 अप्रैल 2024 तक के लिए तथा वर्ष 2023-24 हेतु 15 मई 2024 तक के लिए MPTAASC Portal एवं NIC 2.0 पोर्टल, आवेदन हेतु तथा एडमिशन डाटा अपलोड करने हेतु खोलने का कष्ट करें, साथ ही इसकी सूचना दोनों पोर्टल पर भी प्रसारित करने का कष्ट करें।

अपर आयुक्त 04/24
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 0
04/04/2024

पृ. क्रमांक/2024-25/शिक्षा-1/ 78
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी, अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. आयुक्त, आयुष विभाग म.प्र.।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
5. आयुक्त, पशुपालन विभाग म.प्र.।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
7. संचालक, कृषि एवं किसान कल्याण, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, भोपाल।
9. प्रबंध संचालक, MPSEDC की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. संचालक, नर्सिंग संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
11. संचालक, पैरामेडिकल कौंसिल, भोपाल।
12. संचालक, कोशल विकास विभाग, म. प्र. भोपाल।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल म.प्र.।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी CRISP, म. प्र. भोपाल।
15. संचालक, AFRC भोपाल।
16. संचालक, MPPURC भोपाल।
17. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र, म. प्र. भोपाल।
18. समस्त संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
19. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।